न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 49/21
जीसीएमएस नं. 2021/108

दायर दिनांक: 22.06.2021

उनवान

1 घन्टोली पुत्र रामचन्द जाति मीना नि. बौराज तह. भुसावर (मृतक) 1/1 जलपत्नी वेवा घन्टोली 1/2 उर्मिला 1/3 सुमन 1/4 मनीषा 1/5 राजेश पुत्रियान घन्टोली 1/6 प्रमोद 1/7 योगेश पुत्रान घन्टोली जातियान मीना नि. बौराज तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

—वादीगण

बनाम

1 छोटेलाल 2 जगदीश 3 प्यारेलाल 4 रामरतन 5 विशम्भर पुत्रान रामचन्द जातियान मीना नि. बौराज तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

—असल प्रतिवादीगण

6 मुकेश 7 करतार 8 रामचरन 9 शिवराम पुत्रान ग्यारसा 10 उदयचन्द 11 मानसिंह पुत्रान शिवलाल 12 करनसिंह पुत्र विशनलाल 13 गंगाराम पुत्र सामलिया 14 गिर्राज 15 धरमी 16 सोहनलाल पुत्रान विशन्या 17 गिर्राज 18 भजन 19 मनोहरी 20 सिरफूल पुत्रान मंगल 21 गीता पुत्री कजौडी 22 लक्ष्मीनारायण 23 सुखदेव पुत्रान कजौडी 24 सरवती पुत्री कजौडी 25 देवीसिंह 26 रूपी 27 रमेश 28 हेतराम पुत्रान विशनलाल 29 पूरन 30 सुखचन्द 31 सुखराम पुत्रान नारायण जातियान मीना नि. बौराज तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

—तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा
अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता:—
1 श्री आर.डी. शर्मा —वादीगण
2 श्री कुलदीप शर्मा —प्रति.सं. 1,3,4,5

निर्णय दिनांक 24/02/2026

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खाता संख्या 100 से खसरा नंबर 337 रकबा 0.15, 338 रकबा 0.35, 340 रकबा 0.12 हैक्टे. खाता संख्या 97 से खसरा नंबर 205 रकबा 0.05, 236 रकबा 0.07, 321 रकबा 0.14, 354 रकबा 0.25 हैक्टे. खाता संख्या 98 से खसरा नंबर 48 रकबा 0.44, 49 रकबा 0.82 हैक्टे., खाता संख्या 81 से खसरा नंबर 182 रकबा 0.22 हैक्टे., खाता संख्या 82 से खसरा नंबर 149 रकबा 0.05, 156 रकबा 0.10, 175 रकबा 0.11, 299 रकबा 0.13, 302 रकबा 0.11, 307 रकबा 0.13, 6 रकबा 0.18 हैक्टे., खाता संख्या 94 से खसरा नंबर 102 रकबा 0.86, 103 रकबा 0.07, 32 रकबा 0.74 हैक्टे., खाता संख्या 113 से खसरा नंबर 336 रकबा 0.18, 339 रकबा 0.20 हैक्टे., खाता संख्या 130 से खसरा नंबर 424 रकबा 0.18, रकबा 0.29 हैक्टे. वाके ग्राम बौराज तहसील भुसावर में स्थित है।

वादी उपरोक्त खाता संख्या 100 में 1/144 का खाता संख्या 97 में 1/72 का खाता संख्या 98 में 1/36 का खाता संख्या 81 में 1/12 का खाता संख्या 82 में 1/6 का खाता संख्या 94 में 1/18 का खाता संख्या 113 में 1/144 का खाता संख्या 130 में 1/12 भाग का खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। उक्त आराजी वादी प्रार्थी को अपने पिता स्वर्गीय रामचन्द से प्राप्त हुई है। यानि कि पैत्रिक आराजी है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

उक्त आराजी पैत्रिक होने के नाते प्रतिवादीगण भी वादी प्रार्थी की तरह प्रत्येक खाता नंबर में हिस्सेदार है। मौके पर उपरोक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल के बीच मनवटनी तौर पर विभाजन हो रही है तथा उपरोक्त विभाजन के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण असल मौके पर हिस्से अनुसार अपने अपने हिस्से में काश्त कर रहे है। वादी प्रार्थी ने ही अपने हिस्से में आई आराजी में गत फसल में गेहूँ की फसल बोयी थी व वादी प्रार्थी ने ही काटी थी।

वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी को काश्त करने में रूकावट पैदा ना करें यानि ककि किसी भी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत ना करें।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा कराई गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 4, 5 की ओर से श्री कुलदीप शर्मा एड. द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा जवाब पेश करने से इंकार किया गया। अतः उनका जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर मीमो श्री सुरेन्द्र चौधरी एड. द्वारा किया गया। लेकिन बाद मीमो वकालतनामा पेश नहीं करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई। तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 31 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाही गई।

वादीगण की ओर से साक्ष्य के रूप में प्रमोद की ओर शपथ पत्र पेश किया गया। बाद शपथ पत्र प्रमोद से जिरह कराई गई।

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड तथा प्रमोद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का भली भांति अवलोकन किया गया।

उक्त के आधार पर पाया कि वादीगण द्वारा अपने दावे में बताया है कि उक्त आराजी को पैत्रिक होने के नाते प्रतिवादीगण भी वादी प्रार्थी की तरह खाता नंबर में हिस्सेदार है, मौके पर उपरोक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल के बीच मनवटनी तौर पर विभाजन हो रही है तथा उसी अनुसार कब्जा होना बताया होना अवगत कराया है तथा वादीगण द्वारा एक मात्र शपथ पत्र स्वयं प्रमोद की ओर से पेश किया है।

चूंकि उक्त विवादित आराजीयात में सभी पक्षकारान सहखातेदार है। विवादित आराजी का कानूनी विभाजन नहीं हुआ है। आपसी मनवट के आधार पर विभाजन हो रहा है। अतः सहखातेदारान को पाबन्द किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः उक्त के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः दावा वादीगण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/02/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
मुसावर (भरतपुर)

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम, 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

प्रकरण सख्या: 49/21
जीसीएमएस नं. 2021/108

दायर दिनांक: 22.06.2021

उनवान

1 घन्टोली पुत्र रामचन्द जाति मीना नि. बौराज तह. भुसावर (मृतक) 1/1 जलपत्ती वेवा घन्टोली 1/2 उर्मिला 1/3 सुमन 1/4 मनीषा 1/5 राजेश पुत्रियान घन्टोली 1/6 प्रमोद 1/7 योगेश पुत्रान घन्टोली जातियान मीना नि. बौराज तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——वादीगण

बनाम

1 छोटेलाल 2 जगदीश 3 प्यारेलाल 4 रामरतन 5 विशम्भर पुत्रान रामचन्द जातियान मीना नि. बौराज तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——असल प्रतिवादीगण

6 मुकेश 7 करतार 8 रामचरन 9 शिवराम पुत्रान ग्यारसा 10 उदयचन्द 11 मानसिंह पुत्रान शिवलाल 12 करनसिंह पुत्र विशनलाल 13 गंगाराम पुत्र सामलिया 14 गिर्राज 15 धरमी 16 सोहनलाल पुत्रान विशन्या 17 गिर्राज 18 भजन 19 मनोहरी 20 सिरफूल पुत्रान मंगल 21 गीता पुत्री कजौडी 22 लक्ष्मीनारायण 23 सुखदेव पुत्रान कजौडी 24 सरवती पुत्री कजौडी 25 देवीसिंह 26 रूपी 27 रमेश 28 हेतराम पुत्रान विशनलाल 29 पूरन 30 सुखचन्द 31 सुखराम पुत्रान नारायण जातियान मीना नि. बौराज तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा
अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता:–
1 श्री आर.डी. शर्मा ——वादीगण
2 श्री कुलदीप शर्मा ——प्रति.सं. 1,3,4,5

डिक्री दिनांक 24/02/2026

दावा वादा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा आराजी खसरा नंबर 641 वाके ग्राम मैनापुरा वहक वादी डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 641 रकवा 0.24 हैक्टे. वाके ग्राम मैनापुरा तह. भुसावर में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की वाधा व रूकावट पैदा नहीं करें एवं डौल मैडों को नहीं तोडे तथा आराजी पर किसी प्रकार से कब्जा व हस्तक्षेप नहीं करें।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)